प्रेस नोट थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर दिनांक 24.06.2026

धोखाधड़ी का अपराध कारित करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष पीपीगंज के नेतृत्व में मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 407/25 धारा 406,420,504,506 भादवि व मु0अ0सं0 430/25 धारा 420,504,506 भादवि से संबंधित अभियुक्त अभिषेक श्रीवास्तव पुत्र शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण –

अभियुक्त व उसके अन्य साथियों द्वारा वादी के साथ छल-कपट और सुनियोजित साजिश कर फर्जी निवेश योजनाओं में पैसा लगाने के लिए प्रेरित किया और बताया कि वे एक उच्च रिटर्न वाली निवेश योजना चला रहे हैं जो कि विश्वसनीय व सुरक्षित है। जिसमें 15-20% का रिटर्न मिलेगा और साथ ही 2000 स्क्वायर फिट जमीन वादी के नाम से रजिस्ट्री की जायेगी। जिसमें वादी नगद व आनलाईन माध्यम से 1166000/- रूपये का भुगतान छः माह की किस्तों में किया, लेकिन न तो वादी कोई रिटर्न प्राप्त हुआ न ही जमीन की रजिस्ट्री हुई। पैसा मांगने पर अभियुक्तगणों द्वारा जान से मारने की धमकी दी गयी। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 407/25 धारा 406,420,504,506 भादवि पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त द्वारा स्वंय को एक रीयल स्टेट कारोबारी और SIDDHATVA INFRA SOLUTIONS PVT. LTD. का सी.ई.ओ. बताकर वादी व अन्य लोगो को झांसा देकर फंसाया और दूसरे की जमीन को अपनी जमीन बताकर पैसा हड़प लेने के संबंध में थाना स्थानीय पर प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 430/25 धारा 420,504,506 भादवि पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अभिषेक श्रीवास्तव पुत्र शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव निवासी टीचर कालोनी थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 407/25 धारा 406,420,504,506 भादवि थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 430/25 धारा 420,504,506 भादवि थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 सौरभ यादव, थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर
2. कां0 विजय गौड थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर
3. कां0 चन्द्राकर थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर